

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शिक्षाकर्म/27/ए/2009/573
प्रति,

भोपाल, दिनांक 28/8/09

कलेक्टर,
जिला-देवास,
मध्यप्रदेश.

विषय:-अध्यापक संवर्ग अंतर्गत संविलियन के संबंध में।


—0—

विषयांतर्गत लेख है कि मान. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग से प्राप्त टीप में अध्यापक संवर्ग अंतर्गत अंतर्जिला संविलियन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिए गए हैं जिसकी छायाप्रति संलग्न है। इस संबंध में वस्तुस्थिति निम्नानुसार है:-

क्र.	आवेदक का नाम, पदनाम एवं शाला का नाम	मा.मंत्री जी द्वारा प्राप्त नोटशीट/पत्र	प्रकरण की स्थिति
1	2	3	4
1	श्रीमती रेणुका परिक सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि. खुडगांव जिला देवास	जा.क्र. 2179 दि. 01.08.09	मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के परिपत्र दि. 8.11.05 एवं दिनांक 26.09.06 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में प्रकरण जिला स्तर का होने से आपके स्तर से नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें।


अतएव इस संबंध में आपके स्तर से नियमानुसार कार्यवाही करते हुए संबंधित आवेदिका को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार
संचालक द्वारा अनुमोदित


संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण, म.प्र.
भोपाल, दिनांक 28/8/09

पृष्ठांकन क्रमांक/शिक्षाकर्म/27/ए/2009/574
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मान. मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. तालिका कॉलम क्रमांक दो में वर्णित संबंधित आवेदक की ओर सूचनार्थ।


संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण, म.प्र.

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शिक्षाकर्म/ए/27/2009/573
प्रति,

भोपाल, दिनांक 28/8/09

जिला शिक्षा अधिकारी,
जिला-देवास
मध्यप्रदेश.

विषय:-अध्यापक संवर्ग अंतर्गत अंतर्जिला संविलियन के संबंध में।

—0—

विषयांतर्गत लेख है कि मान. मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग से प्राप्त पत्र में अध्यापक संवर्ग अंतर्गत अंतर्जिला संविलियन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में वस्तुस्थिति निम्नानुसार है:-


क्र.	आवेदक का नाम, पदनाम एवं शाला का नाम	मान. मंत्री जी से प्राप्त नोटशीट/पत्र का क्र. एवं दिनांक	प्रकरण की स्थिति
1	2	3	4
1	श्री लक्ष्मीनारायण धरिवाल शिक्षाकर्म वर्ग-3 शा.मा.वि. डोकाकुई जिला देवास	जा.क्र. 2208 दि. 04.08.09	प्रकरण में शासन परिपत्र दि. 8.11.05 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुक्रम में पुरुष आवेदकों को पात्रता न होने के कारण प्रकरण में विचार किया जाना संभव नहीं है।


अतएव कृपया उक्त वस्तुस्थिति से संबंधित आवेदकों को आपके स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें।

संचालक द्वारा अनुमोदित

पृष्ठांकन क्रमांक/शिक्षाकर्म/ए/27/2009/574
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. तालिका कॉलम क्रमांक दो में वर्णित संबंधित आवेदक की ओर सूचनार्थ।


उपसंचालक
लोक शिक्षण, म.प्र.
भोपाल, दिनांक 28/8/09


उपसंचालक
लोक शिक्षण, म.प्र.

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शिक्षाकर्म/27/2009/573
प्रति,

भोपाल, दिनांक 28/8/09

जिला शिक्षा अधिकारी,
जिला—.....
मध्यप्रदेश.

विषय:—अध्यापक संवर्ग अंतर्गत अंतर्जिला संविलियन के संबंध में।


—0—

विषयांतर्गत लेख है कि मान. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग से प्राप्त टीप में अध्यापक संवर्ग अंतर्गत अंतर्जिला संविलियन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में वस्तुस्थिति निम्नानुसार है:—

क्र.	आवेदक का नाम, पदनाम एवं शाला का नाम	मा.मंत्री जी/विधायक द्वारा प्राप्त नोटशीट/पत्र	प्रकरण की स्थिति
1	2	3	4
1	श्रीमती निधि कुशवाह संविदा शाला शिक्षक उर्ग-3 शा.उ.प्रा.शा. दरैया	जा.क्र. 1027 दि. 15.07.09	आवेदिका द्वारा संशोधन हेतु आवेदन पत्र एवं संविलियन निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न नहीं की गई है।
2	श्रीमती सुचिता कुजूर सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. कटुआटोली जिला सिंगरौली	जा.क्र. 2239 दि. 04.08.09	आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संविलियन निकाय की अनापत्ति में शाला का नाम अंकित नहीं है। अतः संविलियन की अनुमति दिए जाने में कठिनाई है।

अतएव कृपया उक्त वस्तुस्थिति से संबंधित आवेदकों को आपके स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें।

संचालक द्वारा अनुमोदित



उपसंचालक 28/8/09

लोक शिक्षण, म.प्र.

भोपाल, दिनांक 28/8/09

पृष्ठांकन क्रमांक/शिक्षाकर्म/27/2009/574
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मान. मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. तालिका कॉलम क्रमांक दो में वर्णित संबंधित आवेदिका की ओर सूचनार्थ।


उपसंचालक 28/8/09
लोक शिक्षण, म.प्र.

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शिक्षाकर्म/27/2009/ 573
प्रति,

भोपाल, दिनांक 28/8/09

जिला शिक्षा अधिकारी,
जिला-रतलाम एवं गुना
मध्यप्रदेश

विषय:-अध्यापक संवर्ग अंतर्गत अंतर्जिला संविलियन के संबंध में।


—0—

विषयांतर्गत लेख है कि मान. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग से प्राप्त टीप में अध्यापक संवर्ग अंतर्गत अंतर्जिला संविलियन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में वस्तुस्थिति निम्नानुसार है:-

क्र.	आवेदक का नाम, पदनाम एवं शाला का नाम	मा.मंत्री जी/विधायक द्वारा प्राप्त नोटशीट/पत्र	प्रकरण की स्थिति
1	2	3	4
1	श्री राजय शिवानी संविदा शाला शिक्षक वर्ग-2 शा.मा.वि. सादेडा जिला रतलाम	जा.क्र. 2241 दि. 04.08.09	भर्ती नियमों में प्रावधान अनुसार संविदा शाला शिक्षकों की नियुक्ति शाला विशेष के पद पर की जाती है। अतः आवेदक को संविलियन की पात्रता नहीं है।
2	श्रीमती अर्चना शिवहरे संविदा शाला शिक्षक शा. ई.जी.एस. शाला बडनगर जिला गुना	जा.क्र. 2214 दि. 04.08.09	भर्ती नियमों में प्रावधान अनुसार संविदा शाला शिक्षकों की नियुक्ति शाला विशेष के पद पर की जाती है। अतः आवेदक को संविलियन की पात्रता नहीं है।

अतएव कृपया उक्त वस्तुस्थिति से संबंधित आवेदिका को आपके स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें।

संचालक द्वारा अनुमोदित



उपसंचालक

लोक शिक्षण, म.प्र.

भोपाल, दिनांक 28/8/09

पृष्ठांकन क्रमांक/शिक्षाकर्म/27/2009/ 574
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मान. मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. तालिका कॉलम क्रमांक दो में वर्णित संबंधित आवेदिका की ओर सूचनार्थ।


उपसंचालक
लोक शिक्षण, म.प्र.